[Date]

प्रिय हाउसहोल्ड,

फ़ेडरल सरकार ने मौजूदा स्कूल वर्ष के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के अंत तक महामारी-EBT लाभों को स्वीकृति दे दी है।

हमारा स्कूल सभी छात्रों को निःशुल्क भोजन प्रदान करता है। यह सभी छात्रों को किसी भी दिन के लिए P-EBT लाभ पाने हेतु पात्र बनाता है:

* उनके पास अनुपस्थित होने पर सफाई के तौर पर देने के लिए COVID-संबंधी वजह थी, या
* COVID से संबंधित चीज़ों की वजह से स्कूल बंद था।

इनके लाभ:

* छात्रों को स्कूल में मिलने वाले निःशुल्क स्कूली भोजन के मूल्य को बदलना है।
* उन छात्रों को प्रदान किया जाएगा, जिनके पास अनुपस्थित होने पर सफाई के तौर पर देने के लिए COVID-संबंधी वजह थी। सभी छात्रों को उन दिनों के लिए भी लाभ प्रदान किया जाएगा, जब हमारे स्कूल में COVID-संबंधी चीज़ों की वजह से बंद था।  *बंद होने या अनुपस्थित होने के दौरान घर पर खाने के लिए छात्र की निःशुल्क भोजन पाने की P-EBT वाली योग्यता पर असर नहीं पड़ेगा।*

**छात्र की जानकारी की समीक्षा करें:**कृपया हमारे पास आपके छात्र के बारे में फाइल में मौजूद होने वाली जानकारी की समीक्षा करें।

छात्र का नाम:

छात्र की जन्म तिथि:

हाउसहोल्ड का मुखिया:

मेलिंग एड्रेस:

* अगर जानकारी सही है, तो आगे किसी भी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है।
* अगर जानकारी सही नहीं है, तो कृपया[provide contact information]इसे ठीक करने के लिए 31 जनवरी, 2023 से [date may be updated according to school’s needs] पहले संपर्क करेंI यदि इस वर्ष के अंत में आपका मेलिंग एड्रेस बदलता है, तो कृपया हमें बताएँI

इन लाभों के बारे में अधिक जानने के लिए *P-EBT के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों* की संलग्न की गई सूची देखें।  यदि आपका छात्र सितंबर-जनवरी के किसी भी लाभ के लिए पात्र है, तो उन्हें वे अप्रैल में मिलेंगेI  इस ग्रीष्मकाल में शेष स्कूल वर्ष के लिए लाभ भेजे जाएंगे।

आपकी सहायता के लिए धन्यवाद।

भवदीय,

[Signature]

फ़ेडरल नागरिक अधिकार कानून और यू.एस. के तहत कृषि विभाग (USDA) के नागरिक अधिकार नियम और नीतियां, इस संस्था को नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग (लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास सहित), विकलांगता, उम्र या प्रतिशोध या पूर्व नागरिक अधिकारों की गतिविधि के लिए प्रतिशोध लेने को आधार बनाकर भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया है।

कार्यक्रम की जानकारी अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जा सकती है। विकलांग व्यक्ति जिन्हें कार्यक्रम की जानकारी पाने के लिए संचार के वैकल्पिक साधनों की ज़रूरत पड़ती है (जैसे, ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियोटेप, अमेरिकी सांकेतिक भाषा), को उत्तरदायी राज्य या स्थानीय एजेंसी से संपर्क करना चाहिए जो कार्यक्रम को संचालित करती है या USDA के TARGET केंद्र (202) 720- पर 2600 (वॉयस और टीटीवाई) पर संपर्क करें या फेडरल रिले सर्विस (800) 877-8339 पर USDA से संपर्क करें।

कार्यक्रम में भेदभाव की शिकायत को दर्ज करने के लिए, शिकायतकर्ता को AD-3027, यूएसडीए कार्यक्रम भेदभाव शिकायत फॉर्म भरना होगा जिसे किसी भी USDA कार्यालय से ऑनलाइन: [https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf](https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf), (866) 632-9992 पर कॉल करके या USDA को पत्र लिखकर प्राप्त किया जा सकता है। पत्र में शिकायतकर्ता का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, और कथित भेदभावपूर्ण कार्रवाई का लिखित विवरण होना चाहिए ताकि नागरिक अधिकारों के लिए सहायक सचिव (ASCR) को कथित नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की प्रकृति और तिथि के बारे में सूचित किया जा सके। पूरा किया गया AD-3027 फॉर्म या पत्र यूएसडीए को निम्नलिखित द्वारा जमा किया जाना चाहिए:

1. **मेल:**यू. एस. कृषि विभाग
नागरिक अधिकारों का सहायक सचिव कार्यालय
1400 इंडिपेंडेंस एवेन्यू, SW
वाशिंगटन, डी.सी. 20250-9410; या
2. **फैक्स:**
(833) 256-1665 or (202) 690-7442; या
3. **ईमेल:**
Program.Intake@usda.gov

यह संस्था एक समान अवसर प्रदाता है।